

सायलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.126/2019

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक-17.12.19

सरकार बनाम जगदीश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चर्तुभुज ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0 है0 किस्म गै0मु0बंजड भूमि मेंसे 0.52 है0 पर जगदीश पुत्र प्रहल्लाद जाति स्वमी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत व मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आया तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायलान ने अपने जबाब में कथन किया है कि उक्त भूमि के आप के यहां से नोटिस दिये गये है जबकि उक्त भूमि तहसील बानसूर में आती है । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है ।


अतः गैरसाल जगदीश पुत्र प्रहल्लाद जाति स्वामी द्वारा वाके ग्राम चर्तुभुज के खसरा नंबर 660 है0 किस्म जमीन सिवायचक बंजड भूमि मेंसे 0.52 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः जगदीश पुत्र प्रहल्लाद जाति स्वामी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0 है0, किस्म सिवायचक बंजड मेंसे 0.52 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान को उक्त आराजीयात पर की गई जोत व मकान को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2 रु. का पचास गुणा 100 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का

तहसीलदार
कोटपूतली जयपुर

को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे।
निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से बर
हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।


तहसीलदा
कोटपूतली जय

वर्ष 2000 0... .. क श. सं. 4
र पुस्त संख्या पर... ..
नियम का न किया गये ।

राजस्थान लेखाकार
कोटपूतली

